



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277237
CG-DL-E-17102026-277237

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 829]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 900(अ).— केन्द्रीय सरकार न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्य क्षेत्र न्यायालय शुल्क (शास्ति और अपील का न्यायनिर्णयन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ -(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से उपायुक्त या उप कलेक्टर या अधिनियम की धारा 34क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समकक्ष पद के किसी अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलकर्ता" से अधिनियम की धारा 34क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीड़ित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 34ख की उपधारा (1) के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए नामित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया है।

3. शिकायत दर्ज करना - (1) धारा 34 के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन की जानकारी रखने वाला कोई राजस्व अधिकारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता या व्यक्ति, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक शिकायत प्ररूप -I में दर्ज की जाएगी और उसे प्रस्तुत किया जा सकता है—

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से;

(ख) स्पीड पोस्ट द्वारा; या

(ग) दस्ती

4. जांच का संचालन- (1) अधिनियम की धारा 34क के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन हेतु, न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उल्लंघन करने के आरोपी व्यक्ति को प्ररूप -2 में नोटिस जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिनों से कम नहीं होगी, यह कारण बताने को कहा जाएगा कि नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही क्यों प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी नोटिस के जवाब में प्राप्त उत्तर पर विचार करने पर, यदि कोई हो, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि यह आवश्यक है, तो उत्तर प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर सुनवाई का नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने या मामले के न्यायनिर्णय के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ करने के लिए कहा जा सकता है।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।

(4) जहां उप-नियम (2) के अधीन, यथास्थिति, सुनवाई की सूचना प्राप्त व्यक्ति उपस्थित होने या अपना पक्ष रखने में विफल रहता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करने के बाद एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है।

(5) जहां रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री अपर्याप्त है, या जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी को आगे साक्ष्य या दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक लगता है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है और उसकी उपस्थिति को लागू कर सकता है।

(6) रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि उल्लंघन किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

(7) उप-नियम (6) के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश में निर्दिष्ट किया जाएगा—

(क) किया गया उल्लंघन;

(ख) धारा 34 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया;

(ग) निष्कर्षों के कारण;

(घ) अधिरोपित की गयी शास्ति की राशि; और

(ङ) वह अवधि जिसके भीतर शास्ति अधिरोपित की जानी हो।

(8) इस नियम के अधीन पारित आदेश की एक प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(9) न्यायनिर्णायक अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन नोटिस जारी करने की तारीख से तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करने का प्रयास करेगा।

5. नोटिस और आदेशों की तामील:- इन नियमों के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी नोटिस या आदेश की कॉपी निम्नलिखित द्वारा तामील किया जाएगा—

(क) व्यक्तिगत सुपुर्दगी;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम;

(सी) स्पीड पोस्ट; या

(घ) संबंधित व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास स्थान या व्यवसाय स्थल पर नोटिस चिपकाना, जहां उपरोक्त विधियों द्वारा तामील नहीं की जा सकती।

6. शास्ति की राशि अवधारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक:- शास्ति की राशि अवधारित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित बातों पर उचित ध्यान दे सकता है—

(क) इसमें शामिल न्यायालय शुल्क या डाक टिकट की राशि;

(ख) उल्लंघन की अवधि;

(ग) प्रभावित विक्रेताओं की संख्या;

(घ) आम जनता को हुई हानि या कठिनाई;

(ङ) उल्लंघन की पुनरावृत्ति;

(च) उल्लंघन से प्राप्त कोई भी असमानुपातिक लाभ या अनुचित लाभ; और

(छ) अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं के हितों पर प्रभाव डालने वाला कोई अन्य संगत कारक।

7. शास्ति की वसूली और भुगतान:- (1) अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गयी कोई भी शास्ति नियम 4 के उप-नियम (6) के अधीन पारित आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदा किया जाएगा।

(2) शास्ति की राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऐसे माध्यम से किया जाएगा जैसा कि ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) यदि अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गयी कोई भी शास्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

8. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील- (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति प्ररूप-3 में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) प्रत्येक अपील, अपील किए गए आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी:

परंतु अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद फाइल की गई अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल करने में असमर्थ था।

(3) अपीलकर्ता द्वारा स्वयं, किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, या इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अपील फाइल की जा सकती है, और इसे स्पीड पोस्ट द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

(4) डाक द्वारा भेजी गई अपील उस तारीख को फाइल की गई मानी जाएगी जिस तारीख को वह अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होती है।

(5) जांच करने पर, यदि अपील विधिवत पाई जाती है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा।

(6) अपील में कोई त्रुटि पाए जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को त्रुटि की सूचना देगा और उसके सुधार के लिए पंद्रह दिन की अवधि देगा।

(7) यदि अपीलकर्ता उप-नियम (6) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अपील को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है और अपीलकर्ता को अपना विनिश्चय सूचित करेगा।

(8) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को उसकी एक प्रति तामील करेगा।

(9) प्रतिवादी अपील की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उत्तर दाखिल कर सकता है।

(10) अपीलीय प्राधिकारी न्यायनिर्णायक अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड मंगवा सकता है।

(11) अपीलीय प्राधिकारी कोई आदेश पारित करने से पहले पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(12) अपीलीय प्राधिकारी अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

9. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश--(1) अपीलीय प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा, उसमें कारण होंगे और उस पर अपीलीय प्राधिकारी की तारीख और हस्ताक्षर होंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता, प्रतिवादी और न्यायनिर्णय अधिकारी को भेजी जाएगी।

10. अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां--(1) अपीलीय प्राधिकारी—

(क) अपील किए गए आदेश की पुष्टि करना;

(ख) अपील के विरुद्ध दिए गए आदेश में संशोधन करना;

(ग) अपील के विरुद्ध दिए गए आदेश को एक पक्षीय करना;

(घ) मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजना;

(ङ) लगाए गए शास्ति को कम करना, बढ़ाना या निरस्त करना; या

(च) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार वह ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

(2) इन नियमों के अधीन लगाई जाने वाली कोई भी शास्ति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम शास्ति से अधिक नहीं होगा।

11. अपीलीय आदेश का प्रभाव-- इन नियमों के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश निश्चायक और अंतिम होगा।

प्ररूप -I

[नियम 3(2) देखें]

शिकायत

(न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष फाइल किया जाना है)

1. शिकायतकर्ता का नाम और पता;
2. संपर्क विवरण और ईमेल;
3. कथित उल्लंघन का विवरण;
4. घटना की तारीख और स्थान;
5. संबंधित व्यक्ति का विवरण;
6. जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया गया;
7. मांगी गई राहत; और
8. प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर)

प्ररूप - 2

[नियम 4(1) देखें]

कारण बताओ नोटिस

तारीख _____ (प्रति संलग्न) की शिकायत के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा ____ का उल्लंघन किया है। अतः, आपको इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि अधिनियम की धारा 34क के अधीन आपके विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

(न्यायनिर्णायक अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और मुहर)

तारीख: _____

प्ररूप - 3

[नियम 8(1) देखें]

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील हेतु आवेदन

1. अपीलकर्ता का विवरण
 - 1.1 नाम :
 - 1.2 पता :
 - 1.3 टेलीफोन/मोबाइल नंबर:
 - 1.4 ई-मेल पता :
 - 1.5 प्राधिकृत प्रतिनिधि/वकील का नाम और पता, यदि कोई हो :
2. प्रतिवादी का विवरण
 - 2.1 नाम :
 - 2.2 पता :
 - 2.3 टेलीफोन/मोबाइल नंबर :
 - 2.4 ई-मेल पता :
 - 2.5 प्राधिकृत प्रतिनिधि/वकील का नाम और पता, यदि कोई हो
3. अपील किए गए आदेश का विवरण
 - 3.1 आदेश की तारीख :
 - 3.2 संदर्भ संख्या :
 - 3.3 न्यायनिर्णायक अधिकारी का नाम और पदनाम :
 - 3.4 अधिरोपित की गई शास्ति की राशि :
 - 3.5 आदेश की प्रति संलग्न है: हाँ/नहीं
4. अपील के आधार
(तथ्यों और चुनौती के आधारों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें)
5. जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया
(संलग्न दस्तावेजों की सूची)
6. मांगी गई राहत
(मांगी गई राहत का सटीक विवरण दें)

सत्यापन

मैं, _____, उपर्युक्त नाम का अपीलकर्ता, सत्यापित करता/करती हूँ कि यहाँ वर्णित तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान :

तारीख :

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

[फा. सं. एल-11019/1/2025-न्याय-I]

जी. मुथुराजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

G.S.R. 900(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Court-fees Act, 1870 (7 of 1870), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union territories Court fees (Adjudication of Penalties and Appeal) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Court-fees Act, 1870 (7 of 1870);

(b) "adjudicating officer" means Deputy Commissioner or Deputy Collector or any other officer equivalent in rank, appointed under sub-section (1) of section 34A of the Act;

(c) "appellant" means a person aggrieved by an order passed by the adjudicating officer under sub-section (2) of section 34A of the Act;

(d) "appellate authority" means the authority designated under sub-section (1) of section 34B of the Act to hear appeals against orders of the adjudicating officer;

(e) "Form" means a Form appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Filing of complaint.— (1) Any revenue officer, licensed vendor or individual, having knowledge of a contravention of any rule made under section 34, may file a complaint before the adjudicating officer.

(2) Every complaint referred to in sub-rule (1) shall be made in Form-I and may be submitted—

(a) electronically;

(b) by speed post; or

(c) by hand.

4. Holding of inquiry.- (1) For the purpose of adjudication under section 34A of the Act, the adjudicating officer shall, within thirty days from the receipt of a complaint, issue a notice in Form-II to the person alleged to have committed the contravention requiring such person to show cause, within such period as may be specified in the notice, which shall not be less than thirty days from the date of service thereof, as to why proceedings should not be initiated against such person for the contravention as referred to in sub-rule (1) of rule 3.

(2) Upon consideration of the reply received to the notice issued under sub-rule(1), if any, the adjudicating officer may, if satisfied that it is necessary, issue a notice of hearing within fifteen days of receipt of reply, requiring the person concerned to appear in person or through an authorised representative or to make such additional submissions as may be necessary for adjudication of the matter.

(3) No order shall be passed by the adjudicating officer unless the parties have been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) Where the person upon whom a notice of hearing under sub-rule (2) has been served fails to appear or make submission, as the case may be, the adjudicating officer may proceed ex- parte after recording reasons in writing.

(5) Where the material available on record is deficient, or where the adjudicating officer considers it necessary to obtain further evidence or documents which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject-matter of the inquiry, the adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case.

(6) Upon consideration of the material available on record, if the adjudicating officer is satisfied that the contravention has been committed, he may, by order in writing, impose such penalty as provided under the Act.

(7) Every order passed under sub-rule (6) shall specify—

- (a) the contravention committed;
- (b) the provisions of the rules made under section 34 contravened;
- (c) the reasons for the findings;
- (d) the amount of penalty imposed; and
- (e) the period within which the penalty is to be paid.

(8) A copy of the order passed under this rule shall be supplied free of cost to the parties concerned.

(9) The adjudicating officer shall endeavour to complete the proceedings within three months from the date of issuance of notice under sub-rule (1).

5. Service of notices and orders.- A notice or a copy of order under these rules shall be served by—

- (a) personal delivery;
- (b) electronic means;
- (c) speed post; or
- (d) affixing the notice at the last known place of residence or business of the person concerned, where service cannot be effected by the above-mentioned methods.

6. Factors to be considered while determining amount of penalty.- While determining the amount of penalty, the adjudicating officer may have due regard to—

- (a) the amount of court-fee or stamps involved;
- (b) the duration of contravention;
- (c) the number of vendors affected;
- (d) loss or hardship caused to the general public;
- (e) the repetition of contravention;

(f) any disproportionate gain or unfair advantage derived from the contravention; and

(g) any other relevant factor having a bearing on the interests of licensed vendors.

7. Recovery and credit of penalty.- (1) Any penalty imposed under the Act shall be paid within the period specified in the order passed under sub-rule (6) of rule 4.

(2) The amount of penalty shall be paid electronically or through such mode as may be specified in such order.

(3) If the penalty imposed under the Act is not paid, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.

8. Appeal against order of adjudicating officer.- (1) Any person aggrieved by an order passed by the adjudicating officer may prefer an appeal before the appellate authority in Form-III.

(2) Every appeal shall be filed within a period of thirty days from the date of receipt of the order appealed against:

Provided that the appellate authority may entertain an appeal filed after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within time.

(3) An appeal may be filed by the appellant in person, through an authorised representative, or through an advocate duly authorised in this behalf, and may be submitted by speed post, or through electronic means.

(4) An appeal sent by post shall be deemed to have been filed on the date on which it is received in the office of the appellate authority.

(5) Upon scrutiny, where the appeal is found to be in order, it shall be admitted.

(6) Where any defect is noticed in the appeal, the appellate authority shall communicate the defect to the appellant and allow a period of fifteen days for its rectification.

(7) Where the appellant fails to rectify the defects within the period specified in sub-rule (6), the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to admit the appeal and shall communicate its decision to the appellant.

(8) Upon admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy thereof upon the respondent.

(9) The respondent may file a reply within fifteen days from the date of receipt of notice of appeal.

(10) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer.

(11) The appellate authority shall afford the parties a reasonable opportunity of being heard before passing any order.

(12) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of its filing.

9. Orders of the appellate authority.- (1) Every order of the appellate authority shall be in writing, contain reasons and bear the date and signature of the appellate authority.

(2) A copy of the order passed under sub-rule (1) shall be communicated to the appellant, the respondent, and the adjudicating officer.

10. Powers of the appellate authority.- (1) The appellate authority may—

(a) confirm the order appealed against;

(b) modify the order appealed against;

(c) set aside the order appealed against;

(d) refer the matter to the adjudicating officer for fresh consideration;

(e) reduce, enhance or annul the penalty imposed; or

(f) pass such other order as it may deem fit in the facts and circumstances of the case.

(2) No penalty to be imposed under these rules shall exceed the maximum penalty specified under the Act.

11. Effect of appellate order.- Every order passed by the appellate authority under these rules shall be conclusive and final.

FORM-I
[See rule 3(2)]

Complaint

(To be filed before the adjudicating officer)

1. Name and address of complainant;
2. Contact details and email;
3. Particulars of alleged contravention;
4. Date and place of occurrence;
5. Details of person concerned;
6. Documents relied upon;
7. Relief sought; and
8. Any other particulars required to be furnished.

Declaration

I hereby declare that the facts stated above are true to the best of my knowledge and belief.

(Signature of Complainant)

FORM-II

[See rule 4(1)]

Show Cause Notice

Whereas based on the complaint dated _____ (copy enclosed), it appears that you have committed contravention of section ____ of the Court Fees Act, 1870. Therefore, you are required to show cause within 30 days from receipt of this notice as to why the proceedings for imposition of penalty under section 34A of the Act should not be initiated against you.

(Signature, name and seal of the Adjudicating Officer)

Dated: _____

FORM-III

[See rule 8(1)]

Application for Appeal before the Appellate Authority**1. Particulars of Appellant**

1.1 Name:

1.2 Address:

1.3 Telephone/Mobile Number:

1.4 E-mail Address:

1.5 Name and Address of Authorised Representative/Advocate, if any:

2. Particulars of Respondent

2.1 Name:

2.2 Address:

2.3 Telephone/Mobile Number:

2.4 E-mail Address:

2.5 Name and Address of Authorised Representative/Advocate, if any

3. Particulars of Order Appealed Against

3.1 Date of Order:

3.2 Reference Number:

3.3 Name and designation of Adjudicating Officer:

3.4 Amount of penalty imposed:

3.5 Copy of order enclosed: Yes/No

4. Grounds of Appeal

(Provide concise statement of facts and grounds of challenge)

5. Documents Relied Upon

(List documents enclosed)

6. Relief Sought

(State the precise relief claimed)

Verification

I, _____, the appellant above named, do hereby verify that the facts stated herein are true to my knowledge and belief.

Place:

Date:

(Signature of Appellant)

[F. No. L-11019/1/2025-Jus.I]

G. MUTHURAJA, Jt. Secy.